

कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश

17, अरेरा हिल्स, पोस्ट बॉक्स नंबर 1164 भोपाल

दूरभाष- 2550488,2550446,2551282 फेक्स-0755-2555162

E-Mail: chiefelectoralofficermp@gmail.com, website: ceomadhyapradesh.nic.in

फा.क्र.15/23/2019/1354
प्रति,

भोपाल, दिनांक 30.01.2019

कलेक्टर एवं
जिला निर्वाचन अधिकारी,
भिण्ड, ग्वालियर, अशोकनगर, टीकमगढ़, रीवा,
अनूपपुर, जबलपुर, बैतूल, रायसेन, विदिशा, भोपाल,
बुरहानपुर, खरगौन, इंदौर, उज्जैन एवं मंदसौर

विषय:- लोकसभा निर्वाचन 2019- निर्वाचन याचिकाओं से ईवीएम एवं व्हीवीपीएटी मुक्त कराने के संबंध में।

संदर्भ:- 1. इस कार्यालय का पत्र क्र. 15/23/2019/1251 दिनांक 28.01.2019
2. भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी ईवीएम एवं व्हीवीपीएटी का मैनुअल जुलाई 2018, दस्तावेज 2, संस्करण 3

कृपया विषयांतर्गत संदर्भित पत्र एवं मैनुअल का अवलोकन करें। विधानसभा निर्वाचन 2018 के संदर्भ में माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर में 29 निर्वाचन याचिकाएं प्रस्तुत हुई हैं। दो विधानसभा क्षेत्रों 155- हुजूर एवं 211-सांवेर में दो-दो याचिकाएं प्रस्तुत हुई हैं। 29 निर्वाचन याचिकाओं में 9 याचिकाएं की विषय वस्तु ईवीएम एवं व्हीवीपीएटी है, अतः इन निर्वाचन याचिकाओं के पूर्ण निराकरण तक उपरोक्त में ब्लॉक मशीनों को सुरक्षित रखा जाना है तथा इनका उपयोग आगामी लोकसभा चुनाव में नहीं किया जा सकेगा।

शेष 20 निर्वाचन याचिकाएं जिनमें 18 विधानसभा क्षेत्र सम्महित है तथा जो 17 जिलों से संबंधित है, के संबंध में आयोग के संदर्भित मैनुअल, जुलाई 2018 के अध्याय 4 के पृष्ठ क्र. 26 के बिन्दु 2 (C) (ii) - " If the EVMs are not the subject of the election petition, an application may be moved to the concerned court for allowing the EVMs concerned to be taken out of the strong room for any future election or any other purpose like movement, physical verification of EVMs etc. " का अवलोकन करें।

18 विधानसभा क्षेत्रों की मशीनों का उपयोग आगामी लोकसभा चुनाव में किया जा सके इस हेतु आयोग के निर्देशों के अनुरूप तत्काल संबंधित माननीय उच्च न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर मशीनें स्ट्रॉंग रूम से मुक्त कराने की कार्यवाही सुनिश्चित करें तथा इसकी सूचना इस कार्यालय को तत्काल उपलब्ध कराएं। इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दें।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार


(संदीप यादव)

अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी
मध्यप्रदेश

पृ.क्र.15 / 23 / 2019 / 1355

भोपाल, दिनांक 30.01.2019

प्रतिलिपि—

1. श्री अनुज जयपुरियार, प्रधान सचिव, भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली
2. श्री अरविंद आनंद, सचिव, भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली
3. श्री सौम्यजीत घोष, अवर सचिव, भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली
4. श्री मधुसुदन गुप्ता, अवर सचिव, भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली
5. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, सागर, टीकमगढ़, सतना, रीवा, कटनी, रायसेन, खण्डवा एवं इंदौर की ओर भेजकर लेख है कि जिन विधानसभा क्षेत्रों की निर्वाचन याचिकाओं में ईव्हीएम विषय वस्तु है उन विधानसभा क्षेत्रों की मशीनों को निर्वाचन याचिका के पूर्ण निराकरण तक सुरक्षित संधारित किया जाए, अर्थात् उपरोक्त मशीनें जिला निर्वाचन अधिकारी की Safe Custody में निरंतर बनी रहेंगी।


(संदीप यादव)

अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी
मध्यप्रदेश

विधानसभा निर्वाचन 2018 के संबंध में निर्वाचन याचिकाओं की जानकारी

स.क्र.	जिले का नाम	जिले में निर्वाचन याचिकाओं की संख्या	विधानसभा क्षेत्र क्रमांक एवं नाम	क्या ईव्हीएम निर्वाचन याचिका का विषय है ? (हां/नहीं)	याचिका क्रमांक.
1	भिण्ड	1	11-लहार		20 / 2019
2	ग्वालियर	1	15-ग्वालियर		4 / 2019
3	अशोकनगर	1	32-अशोकनगर(अ.जा.)		8 / 2019
4	सागर	1	35-बीना (अ.जा.)	हां	13 / 2019
5	टीकमगढ़	2	43-टीकमगढ़	हां	12 / 2019
			47-खरगापुर		5 / 2019
6	सतना	1	64-नागौद	हां	10 / 2019
7	रीवा	2	72-देवतलाब	हां	17 / 2019
			74-रीवा		24 / 2019
8	अनूपपुर	1	88-पुष्पराजगढ़(अ.ज. जा)		15 / 2019
9	कटनी	1	93-मुडवारा	हां	2 / 2019
10	जबलपुर	1	96-बरगी		21 / 2019
11	बैतूल	1	131-बैतूल		27 / 2019
12	रायसेन	2	140-उदयपुरा		7 / 2019
			141-भोजपुर	हां	22 / 2019
13	विदिशा	1	147-सिरोंज		23 / 2019
14	भोपाल	4	150-भोपाल उत्तर		18 / 2019
			153- भोपाल मध्य		6 / 2019
			155-हुजूर (दो निर्वाचन याचिकाएं)		9 / 2019 एवं 16 / 2019
15	खण्डवा	2	176-हरसूद (अ.ज.जा.)	हां	14 / 2019
			177-खण्डवा (अ.जा.)	हां	29 / 2019
16	बुरहानपुर	1	179-नेपानगर (अ.ज. जा.)		19 / 2019
17	खरगौन	1	184-कसरावद		11 / 2019
18	इन्दौर	3	208-इन्दौर 5	हां	3 / 2019
			211- सांवेर (अ.जा.) (दो निर्वाचन याचिकाएं)		25 / 2019 एवं 26 / 2019
19	उज्जैन	1	213-महिदपुर		28 / 2019
20	मंदसौर	1	227-गरोठ		1 / 2019
कुल		29	27 विधानसभा क्षेत्र	8 जिलों की 9 विधानसभा क्षेत्र में	



Manual on
Electronic Voting Machine
And VVPAT

July 2018

Document 2 – Edition 3



भारत निर्वाचन आयोग
Election Commission of India

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi – 110001

"Greater Participation for a Stronger Democracy"

2. Under rule 94(aa) of the Conduct of Elections Rules 1961, the guidelines of the Commission on retention period of the EVMs after using in election and for using the same in the subsequent elections, are as under:

- A. Every Voting Machine (EVM) and VVPATs used in an election and kept in the custody of the District Election Officer shall be kept untouched, under the standard protocol of security, till confirmation of Election petition position from the High Court concerned after the completion of the period for filing Election Petition i.e. 45 days from the date of declaration of the result.
- B. In the case of elections, where no election petition has been filed or no other court cases are pending, after the aforesaid period, the EVMs may be allowed to be used by the Election Commission for any future election or any other purpose like movement, physical verification of EVMs and VVPATs, etc.
- C. In case of any election where election petition has been filed, the following action shall be taken:-
- (i) If the EVMs are the subject of the election petition, the EVMs used at all Polling Stations in the constituency concerned shall continue to be kept in the safe custody of the District Election Officer, till such time the Election Petition is finally disposed of by the Courts.
 - (ii) If the EVMs are not the subject of the election petition, an application may be moved to the concerned Court for allowing the EVMs concerned to be taken out of the strong room for any future election or any other purpose like movement, physical verification of EVMs etc.
 - (iii) In case EVMs not involved in any Election Petition/Court Case are stored with the EVMs involved in Election Petition/Court Case, the following procedure shall be followed for segregating the EVMs not involved in any election petition/court case from the EVMs involved in EP/Court case:-
 - (a) A Notice informing the opening of Strong Room having EVMs involved in EP/Court Case shall be given to the petitioners/respondents of the EP/Court Case and the representatives of all political parties in writing at least 72 hours in advance, requesting them to remain present at the time of opening of strong room.
 - (b) The strong room shall be opened in the presence of the District Election Officer, Petitioners/respondents of the EP/Court case and representatives of Political Parties.
 - (c) The EVMs not involved in any EP/Court Case shall be segregated from the EVMs involved in EP/Court Case for taking out of the strong room. A list of EVMs being so taken out from the strong room shall be prepared.
 - (d) The EVMs, which are not involved in any EP/Court Case, should alone be taken out of the Strong room.
 - (e) The entire process shall be videographed.
 - (f) A copy of the list of EVMs being taken out from the strong room and copy of videography shall be given to the petitioner/respondent of the EP/court case and acknowledgement taken.